वित्तीय स्वीकृति

संख्या-35/2015/भा0सा0 53/52-3-15-1(99)/2007

प्रेषक,

जय प्रकाश पाण्डेय,
संयक्त सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनु□□□-3, □□□□: दिनांक 12□□, 2015

विषयः-भारत सरकार द्वारा संचालित मेरिट-क□-मीन्स योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक व्ययों को वहन करने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

□□□□□,

उपर्युक्त विषयक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र 0-1/34/2014-□□0□□0, दिनांक 19.3.2015, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 30.3.2015 के अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मेरिट-□□-मीन्स योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 के आवर्ती व्ययों को वहन करने हेतु प्रशासनिक व्यय के रूप में रू0 75,00,000/- (रू0 पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2. भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि को दृष्टिगत रखते हुये वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 02,44,43,000/- के सापेक्ष 0 75,00,000/- (रू0 पचहत्तर लाख मात्र) निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर व्यय हेतु रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के संबंध में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशां/दिशा निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के संबंध में जहा आवश्यक हो, व्यय होने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त क□ □□ □□□□□

(3) प्रशासनिक व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि उन्ही मदों पर व्यय की जायेगी जिसके लिए भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त की गयी है। किसी भी दशा में उक्त धनराशि का अन्य मद में पुर्नविनियोग नही किया जायेगा।

(4) उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्यता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(5) योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का मदवार विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र दो माह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायेंगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें- 0103-अल्पसंख्यक समुदाय के लिए मेरिट-व□□-मीन्स आधारित छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत के0)-21-छात्रवृत्तियां/छात्रवेतन के नामे □□□ □□□□□

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/□□-1-925/10-2015- 231/2015 दिनांक 30.3.2015 के प्रस्त -2(14)क में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव

संख्या-भा0स0 53/52-3-15 तददिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त निदेशक(□□0□□0) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) □□□□ □□□□□, शास्त्री भवन नयी दिल्ली।
2- □□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□□
3- □□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□□
4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय, □□□□□□□□ (□□□-प्रथम) सत्यनिष्ठा भवन थार्न हिल रोड, इ□□□□□□
5- कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदे□□□□, □0प्र0 □□□□□
6- □□□□, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 □□□□
7- निदेशक उर्दू/प्राच्य भाषायें/बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 □□□□
8- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 □□□□ □
9- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□ □
10- वित्त (ई-11) □□□□□/वित्त (अ□-व्ययक) □□□□□-1(02 प्रतियों में)/नियोज□ □□□□□-3 □□□□□ □□□□□
11- कम्प्यूटर आपरेटर, अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेब साइड पर अपलोड करने हेतु।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in